UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

पत्रांकः यू0ओ0यू0 / आर1 / वि0परि0IV/ 205 / 2012 /697 दिनांकः 17 / 03 / 2012

समस्त सदस्य
विद्या परिषद,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

विषयः विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 5 मार्च, 2012 का कार्यवृत्त।

महोदय,

दिनांक 05 मार्च, 2012 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। कार्यवृत्त के विनिश्चयों पर असहमति अथवा संशोधन दिनांक 05 मई, 2012 तक समादित करने हेतु आमंत्रित किये जाते है।

संलग्नकः कार्यवृत्त की प्रति ।

भवदीय,

(सुधीर बुडाकोटी)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः

1. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

Unchaapul, Haldwani – 263 139 Dist – Nainital (Uttarakhand)
ऊँचापुल, हल्द्वानी – 263 139 जिला – नैनीताल (उत्तराखण्ड)
Phone no. 05946-261122, Fax No. 05946 - 264232
फोन न0 05946–261122, फैक्स न0 05946–264232

कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 05 मार्च, 2012 की पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :–

क्र0सं0	प्रतिभागी	
1.	प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर आर. सी. पंत, पूर्व कुलपति कुमाऊँ विश्वविद्यालय।	सदस्य
3.	प्रोफेसर नागेश्वर राव, पं0 जे0एन0 इन्सटीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेन्ट, उज्जैन।	सदस्य
4.	प्रोफेसर आर. सी. मिश्र, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन एवं वाणिज्य, तथा पर्यटन एवं होटल प्रबंध विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
5.	प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल, निदेशक, मानविकी एवं भाषा विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
6.	प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
7.	प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर एवं सूचना विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
8.	प्रोफेसर गोविन्द सिंह, निदेशक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
9.	प्रोफेसर वी0के0 कौल, निदेशक, कृषि खाद्य एवं वानिकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
10.	प्रोफेसर जे.के. जोशी, निदेशक, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
11.	प्रोफेसर रोमेश वर्मा, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
12.	डॉ0 मदन मोहन जोशी, सहायक प्राध्यापक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
13.	डॉ0 एच0सी0 जोशी, सहायक प्राध्यापक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
14.	श्री सुधीर बुडाकोटी, कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियन्त्रक ने भी प्रतिभाग किया।

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव/सचिव विद्या परिषद तथा कुलपति द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकलापों में उनके मूल्यवान योगदान एवं विशिष्ट परामर्श हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ करते हुए कार्यसूची पर विचार किया गया।

13/3/12

प्रस्ताव संख्या 4.01 विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 23 अप्रैल, 2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर किसी सदस्य से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नही हुइ। अतः तृतीय बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4.02 विद्या परिषद की तृतीय बैठक के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

परिषद द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया तथा उस पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4.03 विभिन्न अध्ययन बोर्ड्स द्वारा विचारित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार।

परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। इस प्रस्ताव में पूर्व से संचालित कुछ पाठ्यक्रमों पर परिषद का अनुमोदन न प्राप्त किये जाने का उल्लेख है तथा गत बैठक के उपरान्त विभिन्न अध्ययन बोर्डों द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित कुछ नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड्स की संस्तुतियों पर अनुमोदन चाहा गया है। प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्न संकल्प पारित किया जाता है:–

"पूर्व से संचालित ऐसे पाठ्यक्रमों, जिनपर परिषद का अनुमोदन प्राप्त नही किया जा सका था, के संचालन की कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही गत बैठक के उपरान्त विभिन्न अध्ययन बोर्ड्स द्वारा संस्तुत नये पाठ्यक्रमों को आरम्भ किये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है। भविष्य में, अपरिहार्य स्थिति को छोडकर, नये पाठ्यक्रमों को परिषद के अनुमोदन के उपरान्त ही आरम्भ किया जाय।

यह भी पारित किया गया कि कृषि, वानिकी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी एवं ऐसे अन्य समस्त पाठ्यक्रमों के आरम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि क्या इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने हेतु किसी प्राधिकारी/परिषद से अनुमति प्राप्त किया जाना वांछित है। यदि पाठ्यक्रम सम्बन्धित परिषद के अनुमोदन के उपरान्त ही आरम्भ किया जाना अपेक्षित हो तो इस आशय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

कृषि एवं वानिकी के पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में मत व्यक्त किया गया कि इन पाठ्यक्रमों को जन आकांशाओं को ध्यान में रखते हुए आरम्भ किया जाय तथा यह भी सुझाव दिया गया कि क्या इन पाठ्यक्रमों को किसी अन्य पाठ्यक्रम के साथ जोड़े जाने की सम्भावना पर विचार कर लिया जाय तथा यह भी विचार कर लिया जाय कि ऐसा किये जाने से किसी पाठ्यक्रम विशेष के स्वंय के स्वरूप पर कोई प्रभाव नही पडेगा।

यह भी पारित किया गया कि विभिन्न विद्या शाखाओं द्वारा संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों को विनिर्मित करते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय। इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रमों के लिये शुल्क यथा सम्भव कम से कम रखा जाय। वोकेशनल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु कुलपति की अध्यक्षता में सभी निदेशकों की एक समिति गठित की जाती है जो विश्वविद्यालय द्वारा

15/3/12

संचालित सभी पाठ्यक्रमों की समीक्षा, एक पाठ्यक्रम की दूसरे पाठ्यक्रम में पुनरावृत्ति न होने, यू0जी0सी0 मानको के अनुपालन तथा अन्य ऐसे विषयों पर विचार करे जिससे पाठ्यक्रम न केवल जन आकांशाओं के अनरूप हो अपितु वह रोजगारपरक भी सिद्ध हो।

परिषद द्वारा यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उपाधि पाठ्यक्रम से पूर्व पाठ्यक्रमों अर्थात प्रमाण–पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जाय जिससे भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न हो।"

प्रस्ताव संख्या 4.04 विद्या परिषद के सदस्यों के कार्यकाल तथा परिषद में सहयोजित किये जाने वाले शिक्षा क्षेत्र के पॉच व्यक्तियों के नामांकन की पद्धति पर विचार।

परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पारित किया कि: "विद्या शाखा में प्रतिनिधित्व हेतु प्रत्येक विद्या शाखा द्वारा पॉच शिक्षाविदों की नामावली कुलपति को प्रस्तुत की जायेगी जिनमें से कुलपति पॉच बाह्य शिक्षाविदों को नामांकित करेंगे। इस श्रेणी के अन्तर्गत विद्या परिषद मे सहयोजित किये जाने वाले शिक्षाविदों का कार्यकाल उनके नामित किये जाने की तिथि से दो वर्ष का होगा।

यह भी पारित किया गया कि ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से विद्या परिषद में प्रतिनिधित्व हेतु विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों का कार्यकाल भी दो वर्ष रखा जाय।"

प्रस्ताव संख्या 4.05 प्रवेश में आरक्षण लागू किये जाने पर विचार।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मत व्यक्त किया गया कि प्रवेश में आरक्षण समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण के आधार पर किया जाय। परिषद ने यह भी मत व्यक्त किया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश विषय–आधारित होते है अतः आरक्षण को विषयवार लागू किये जाने पर विचार कर लिया जाय बशर्ते कि ऐसा किये जाने से शासनादेश के प्राविधानों का उल्लंघन न होता हो।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह भी पारित किया गया कि :

"1. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के/नियमों/निर्देशों के अनुसार लागू होगा।

2. जिन विषयों में सीट्स निर्धारित है तथा अन्तिम रिक्त सीट्स हेतु यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है तो ऐसी दशा में, यदि संभव हो तो सीट्स बढ़ाकर प्रवेश दिया जाय। अन्यथा कि स्थिति में अर्हता योग्यता अंकों की वरीयता क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जाय।

15/3/16

3. आरक्षण श्रेणी की रिक्तियों को सामान्य श्रेणी से भरने हेतु शासन से अनुमोदन के उपरान्त सामान्य सीट्स से भरे जाने की व्यवस्था है। चूंकि शासन से अनुमति प्रदान होने में लगने वाले विलम्ब से शिक्षा सत्र की हानि होती है, अतः यह पारित किया गया कि रिक्तियों को शासन की अनुमति की प्रत्याशा में कुलपति के अनुमोदन से सामान्य श्रेणी से भरा जाय।"

प्रस्ताव संख्या 4.06 समतुल्यता एवं प्रवेश अर्हता पर संस्तुति हेतु कुलपति द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

इस प्रस्ताव पर मद संख्या 4.08 के साथ विचार किया गया तथा मद संख्या 4.08 के अन्तर्गत ही संकल्प पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4.07 पी0एच0डी0 उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश विषयक सूचना तथा आरक्षण लागू किये जाने पर विस्तार।

पीएच–डी प्रवेश परीक्षाफल तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे द्वारा परिषद को अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में परिषद ने मत व्यक्त किया कि पीएच–डी में स्थानों के निर्धारण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावलियों तथा इस सम्बन्ध में राजपत्र की अधिसूचनाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पीएच–डी पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश की व्यवस्थाओं के अनुरूप संचालित किये जाय। यह भी सुझाव दिया गया कि पीएच–डी मे प्रवश किये जाने विषयक प्रकरण पर यू0जी0सी0 के निर्देशों तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति में पीएच–डी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दूरस्थ पद्धति के अन्तर्गत पीएच–डी पाठ्यक्रम आरम्भ करने तथा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा रेगुलर मोड में इस उपाधि पाठ्यक्रम को आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 4.08 पार्श्व प्रवेश (लेटरल इन्ट्री) के लिये प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुतियों पर विचार किया गया। विचारोपरान्त पारित किया गया कि:

"1. लेटरल इन्ट्री के प्रत्येक प्रकरण का गुणदोष के आधार पर कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा समीक्षा की जाय।

2. यदि लेटरल इन्ट्री के इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व संस्थान में पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम का 80 प्रतिशत भाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सम्बन्धित पाठ्यक्रम, जिसमें प्रवेश चाहा गया हो, पूर्ण कर लिया हो तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता पाठ्यक्रम पूर्ण करने की आवश्यकता नही होगी परन्तु यदि पूर्व संस्थान के पाठ्यक्रम का 80 प्रतिशत भाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से न मिलता हो तो अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

15/3/12

3. अर्हता पाठ्यक्रम प्रत्येक अध्ययन बोर्ड द्वारा अपने विषय के लिये तैयार किया जायेगा तथा उसपर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

4. स्नातक स्तर पर विषय संयोजन हेतु प्रत्येक विषय का एक तिहाई भाग अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होगा। स्नात्कोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष की सभी प्रश्न पत्रों को आनुपातिक रूप से अर्हता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

5. यदि पूर्व संस्थान में उत्तीर्ण परीक्षा के उपरान्त 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका हो तो ऐसे अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

6. लेटरल इन्ट्री के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों द्वारा पूर्व संस्थान के प्राप्तांकों को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रतिशतांक में परिवर्तित किया जायेगा जो छात्र की श्रेणी के निर्धारण हेतु मान्य होगा।

7. छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित उपाधि ही प्रदान की जायेगी।

यह भी पारित किया गया कि प्रत्येक प्रवेश प्रकरण पर विचार हेतु निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जाय तथा समिति की संस्तुतियों के उपरान्त ही लेटरल इन्ट्री अनुमन्य की जाय :

एक) सम्बन्धित विद्या शाखा का निदेशक
दो) विषय से सम्बन्धित सहायक प्राध्यापक
तीन) कुलसचिव द्वारा नामित एक सदस्य
चार) कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य।"

प्रस्ताव संख्या 4.09 मान्यता बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 29.02.2012 की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

परिषद द्वारा मान्यता बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 29.02.2012 में की गयी संस्तुतियों पर सहमति व्यक्त की गयी। अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की प्रक्रिया, अर्हता नियम इत्यादि को पारित करते हुए यह व्यवस्था की गयी कि यह नियम अध्ययन केन्द्र के साथ–साथ सहायोगी संस्थानों (collaborative institutions) के अधिन प्रशिक्षण केन्द्र पर भी लागू होंगे।

प्रस्ताव संख्या 4.10 विश्वविद्यालय की भविष्य दृष्टि का अवलोकन एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति की दशा में विश्वविद्यालय की भविष्य दृष्टि (VISION-STATEMENT) का अवलोकन किया गया तथा इसे विश्वविद्यालय के मोटो के रूप में प्रयुक्त किये जाने का मत व्यक्त किया गया। इस प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त सुझाव दिया गया कि दृष्टि पत्र एक प्रक्रियात्मक कार्य है जिसमे सभी सम्बन्धित की सहभागिता हेतु गोष्ठियों का आयोजन तथा सभी सम्बन्धित पक्षों का प्रतिनिधित्व हो। दृष्टि पत्र कम से कम एक पंचवर्षीय योजना के रूप में तैयार किया जाय। विचारोपरान्त पारित किया कि:

15/3/12

" दृष्टि पत्र (VISION-STATEMENT) पर परिषद की बैठक में हुई के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सभी विद्या शाखाओं के निदेशकों की एक समिति गठित कर ली जाय। इस समिति से अपनी संस्तुति 2–3 माह में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी।"

प्रस्ताव संख्या 4.11 समाज विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा "सेन्टर फार ऐडवान्स हिमालयन स्टडीज एंड म्यूजियम आफ हिमालयन हेरिटेज एंड ट्रेडिजनल नॉलिज सिस्टम" विषयक प्रस्ताव पर विचार।

परिषद के समक्ष निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा द्वारा इस केन्द्र की स्थापना की प्रस्तावना के रूप में यह अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड के विविध सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, भौगोलिक एवं अन्य स्वरूपों के अनुरूप तथा सरकारी एवं समाज के इन वर्गों को हिमालीय क्षेत्रों के अध्ययन हेतु आधारभूत जानकारियॉ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। परिषद द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित **सेन्टर फार ऐडवान्स हिमालयन स्टडीज एंड म्यूजियम आफ हिमालयन हेरिटेज एंड ट्रेडिजनल नॉलिज सिस्टम** की स्थापना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी परन्तु यह निर्देश दिया कि यह केन्द्र स्ववित्त पोषित स्वरूप में संचालित किया जायेगा। परिषद द्वारा इस केन्द्र के स्थापना के कार्य के अनुश्रवण हेतु निदेशक समाज शास्त्र विद्या शाखा से सतत प्रयत्न हेतु अनुरोध किया तथा प्रस्ताव में वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण अपेक्षा की कि आवश्यकतानुसार वित्त समिति एवं कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 4.12 कुलपति द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के सुदृढीकरण एवं विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं संस्कृति के विकास पर अभिमत देने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

परिषद द्वारा समिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया। निदेशक प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य द्वारा समिति की संस्तुतियों से सदन को अवगत कराया। प्रस्ताव पर विचार विमर्श में यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों से जनमानस को अवगत कराने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। यह मत व्यक्त किया गया कि पाठ्यक्रमों की प्रारम्भिक अवस्था में विद्यार्थियों की अपेक्षित संख्या प्राप्त न होने की दशा में पाठ्यक्रम को स्थगित करने अथवा समाप्त करने पर निर्णय सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त ही किया जाय। समिति की संस्तुतियों पर विस्तृत विचार–विमर्श हेतु सभी निदेशकों की एक समिति पुनर्विचार कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करे जिसपर निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। आवश्यकतानुसारसमिति की संस्तुति कार्य परिषद को प्रस्तुत की जाय। वित्तीय स्वीकृति विद्या परिषद का कार्य क्षेत्र न होने के कारण वित्तीय पक्ष को वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद को प्रस्तुत किये जाने का सुझाव दिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4.13 स्नातक उपाधि धारकों को एकल विषय में पंजीकरण की अनुमन्यता पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया। विषय संयोजन एवं ज्ञान में अभिवृद्धि में रूचि रखने वाले अभ्यर्थियों को एकल विषय मे पंजीकरण की सुविधा दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :

15/3/12

"विषय संयोजन एवं ज्ञान अभिवृद्धि के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने पर सहमति व्यक्त की जाती है। एकल विषय में प्रवेश देने वाले विद्यार्थियों के लिये एक वर्ष में सभी छः प्रश्न पत्र अथवा प्रथम वर्ष में दो तथा द्वितीय वर्ष में दो अथवा चार अथवा तृतीय वर्ष में अवशेष प्रश्न पत्रों में परीक्षा की सुविधा अनुमन्य की जाती है।

यह भी पारित किया गया कि एकल विषय मे पंजीकरण विद्यार्थियों को सम्बन्धित स्नातक पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शुल्क का 40 प्रतिशत शुल्क अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित शुल्क भी देय होगा।

अग्रेत्तर यह भी पारित किया कि एकल विषय पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को एकल विषय का उल्लेख करते हुए उपाधि प्रमाण–पत्र भी प्रदान किया जायेगा।"

प्रस्ताव संख्या 4.14 पूर्व अनुमोदित ऐसे पाठ्यक्रम जिनमे पंजीकरण शून्य हो अथवा अल्प हो, को स्थगित रखे जाने पर विचार।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि:

"शून्य अथवा अल्प विद्यार्थियों वाले पाठ्यक्रमो को स्थगित किये जाने पर सहमति व्यक्त की जाती है, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ऐसा किये जाने से अनुबन्ध पत्र (एम0ओ0यू0) की किसी शर्त का उल्लंघन न होता हो।

यह भी पारित किया गया कि किसी भी नये पाठ्यक्रम के आरम्भ करने का प्रस्ताव देने से पूर्व यह आंकलन कर लिया जाय कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम जनउपयोगी अथवा रोजगारपरक है तथा पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने की दशा में वांछित संख्या में विद्यार्थियों की उपलब्धता की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त किसी भी पाठ्यक्रम को आरम्भ करने से पूर्व यह भी देख लिया जाय कि पाठ्यक्रम हेतु पाठ्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।"

प्रस्ताव संख्या 4.15 भारतीय प्रबन्धन अध्ययन केन्द्र (Centre For Studies in Indian Management) स्थापित किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

निदेशक प्रबन्धन एवं वाणिज्य विद्या शाखा के वैश्विक एवं भारतीय प्रबन्धन के अध्ययन हेतु **भारतीय प्रबन्धन अध्ययन केन्द्र (Centre For Studies in Indian Management)** स्थापित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विचार किया गया तथा प्रस्ताव की सराहना की गयी। विचार–विमर्श में यह मत व्यक्त किया गया कि आरम्भ में इसे एक शोध केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाना उचित होगा। विचारोपरान्त पारित किया गया कि:

"भारतीय प्रबन्धन अध्ययन केन्द्र (Centre For Studies in Indian Management) स्थापित किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की जाती है। प्रस्तावित केन्द्र का नाम "Centre

14/3/12

for Studies of Human Values and Ethics" रखा जाय। यह भी पारित किया गया कि यह केन्द्र स्ववित्त पोषित स्वरूप में संचालित किया जायेगा। चूंकि प्रस्ताव में प्रशासनिक ढाचें तथा अन्य संस्थानों से पारस्परिक समन्वय के आधार पर केन्द्र संचालन प्रस्तावित है, अतः इस केन्द्र की स्थापना पर होने वाले व्यय का आंगणन कर प्रस्ताव वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद को प्रस्तुत किया जाय।"

प्रस्ताव संख्या 4.16 गॉधी शान्ति और ग्रामीण अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत परास्नातक उपाधि पाठ्यक्रम, एक वर्षीय पी0जी0डिप्लोमा, गॉधी दर्शन में एक वर्षीय पी0जी0डिप्लोमा एवं गॉधी दर्शन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने तथा इन विधायो के लिए अध्ययन बोर्ड द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रमों पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया किः

"संलग्नक में उल्लिखित निम्न पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने तथा उनके लिये प्रस्तावित पाठ्यक्रमों तथा बाह्य विशेषज्ञों, इकाई लेखकों एवं परीक्षकों की सूची को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में सम्मिलित विषयों के अध्ययन बोर्ड द्वारा भी विचार कर लिया जाय। साथ ही यह भी पारित किया गया कि इन पाठ्यक्रमों के अध्ययन के उपरान्त सेवायोजन की सम्भावनाओं का भी आंकलन कर लिया जाय। यह भी सुझाव दिया गया कि गैर सरकारी संगठनों एवं सरकारी ऐजेन्सीज द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के साथ भी समन्वय की सम्भावनाओं को भी देख लिया जाय। इस केन्द्र को प्रारम्भ में एक शोध केन्द्र के रूप में चलाये जाने की भी सम्भावनाओं पर विचार कर लिया जाय।"

प्रस्ताव संख्या 4.17 कम्प्यूटर साइंस एवं आई0टी0 अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया किः

"1. बी0सी0ए0 तृतीय सेमेस्टर में लेटरल इण्ट्री के आधार पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. एम0सी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों ने 12वी कक्षा में यदि गणित विषय न पढा हो उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गणित का एक प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

3.एम0एस0सी0 आई0टी0 के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को दत्तकार्य तथा निर्धारित क्रेडिट पूर्ण करने में हुए विलम्ब को स्वीकार किये जाने की अनुमति दी जाती है।

4. वर्ष 2012–2013 से सी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश शुल्क रू0 7500/– से घटाकर रू0 3500/– किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

15/3/12

5. शून्य अथवा कम छात्र संख्या वाले पाठ्यक्रम के लिये विश्वविद्यालय द्वारा समान नीति अपनायी जाय।"

प्रस्ताव संख्या 4.18 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष उल्लेख के रूप में परिषद को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय आगामी सत्र से बी०एस०सी० तथा एम०एस०सी० पाठ्यक्रम आरम्भ करने पर विचार कर रहा है। इन पाठ्यक्रम हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठक कर ली गयी है तथा इन उपाधि पाठ्यक्रमों के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु प्रकरण सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड्स के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बी०ए०पी०पी० / बी०सी०पी०पी० / बी०सी०ए०पी०पी० प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम हेतु भी नये पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं जिन्हे सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड्स की अनुशंसा के साथ विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। इन पाठ्यक्रमों को अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा किस प्रकार संचालित किया जा रहा है, के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा तद्नुसार ही नीति निर्धारित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि समाज विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत Centre for foreign languages and translation studies स्थापित किया जायेगा जो एक स्वायत्य इकाई होगी। परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के डेवलेपमैंट कमिशनर द्वारा हैन्डीक्राफ्ट के क्षेत्र में शिक्षण / प्रशिक्षण हेतु योजना को स्वीकृति प्रदान की है तथा इस हेतु प्रति वर्ष रूपया 12,25,000 (पॉच वर्षो तक) तथा रूपया 17,63,950.00 (एक मुश्त) राशि स्वीकृत की हे। यह धनराशि मशीनरी /यंत्रों की खरीद तथा पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रदान की गयी है। प्रशिक्षण के अतिरिक्त हैडीक्राफ्ट से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

परिषद द्वारा इस परियोजना के संचालन पर हर्ष व्यक्त करते हुए इस हेतु प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक समाज विज्ञान विद्या शाखा के प्रयोसों की सराहना की गयी।

परिषद की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सम्पन्न हुई।

(सुधीर बुडाकोटी) 15/3/15
कुलसचिव / सदस्य सचिव